राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :एफ.53(   )प्रस्ताव/डीएलबी/23/1213-1463   दिनांकः– 24-05-2023

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/नगरपरिषदे/नगरपालिकाऐं
राजस्थान।

विषयः– सीज खोलने के आदेशों में जारी निदेशो की पालना निर्धारित अवधि में की जाकर पालना रिपोर्ट प्रतिमाह भेजने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि विभागीय आदेश दिनांक 14.7.22 के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा सीज भवनो/परिसरों की सीज खोलने के भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विभाग द्वारा उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 14.7.22 के प्रावधानों/शर्तो को अंकित करते हुए सीज खोलने के आदेश जारी किये जाते हैं, जिनमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता हैं कि आदेश में वर्णित निदेशो/शर्तो की पालना अधिकतम 60 दिवस (दो माह) में की जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भेजी जावें। लेकिन विभाग के संज्ञान में आया हैं कि नगरीय निकायों द्वारा आदेश में उल्लेखित निदेशो की पालना होने की मोनेटरिग नही की जा रही हैं तथा पालना रिपोर्ट विभाग को नही भेजी जा रही हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आदेश दिये जाते हैं कि पालना रिपोर्ट प्रतिमाह की दस तारीख तक विभाग को भेजे। इसके लिए आयुक्त/अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होगे। विभाग के समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय को जिम्मेदारी देते हुए आदेश दिये जाते हैं कि वे भ्रमण के समय नगरीय निकायों में उक्त प्रकरणों की जानकारी लेकर पालना करावे तथा रिपोर्ट विभाग को प्रतिमाह की पन्द्रह तारीख तक भेजे। उक्त आदेश की पालना नगरीय निकायों द्वारा की जाने के कार्य की मोनेटरिग के लिए निदेशालय की निगरानी शाखा में रजिस्टर संधारित किया जावे। अब तक नगरीय निकायों के प्रस्तावों पर सीज खोलने के लिए विभाग द्वारा जारी आदेशो में वर्णित निदेशो/शर्तो की पालना रिपोर्ट प्रकरण वाइज विभाग को पन्द्रह दिवस में नगरीय निकायों द्वारा भेजी जावे, अन्यथा सम्बन्धित आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :एफ.53(   )प्रस्ताव/डीएलबी/23/1464-1726   दिनांकः– 24-05-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा. आवासन एवं नविवि
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा.शा. विभाग
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली

24.5.23
अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/letter